बात कहना चाहता हूं और सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने सुरक्षा कर्मचारियों को, डिफेन्स इम्प्लाइज को, भी बोनस देने की घोषणा करे । भारत सरकार ने अपने सारे क्लास-2 और क्लास-3 कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा पिछले साल की थी । उन्हें बोनस मिल भी चुका है । सुरक्षा कर्मचारी बेचारे बाकी हैं । उनमें इसके कारण असंतोष है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपने डिफेन्स इम्प्लाइस को भी बोनस देने की घोषणा करे ।

THE LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1984—contd.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I want to point out two discrepancies in the Bill. Under clause 9, a new section 11A is proposed to be inserted providing for a period of 2 years for the award by the Collector. In this connection, I would like to state that delay in the land acqusition process, tedious procedures and the corruptions are the three main problems in land acquisition. These three problems are not only injuring the interests of the landholders whose land is acquired, but it defeats the very purpose of the land acquisition. So much time of 2 years is not at all required. Nowadays the Collectors, the Deputy Collectors are not the Land Acquisition Officers. There are other Special Collectors and special Deputy Collectors and an entirely separate department has been set up for land acquisition purpose, and they have been given quasi-judicial powers as a tribunal. So, they can very expeditiously dispose of the cases, and that is why I said that 2 years' time is not at all needed; it is absolutely unnecessary. Just six months are enough. I, therefore, request the Minister concerned to keep a note of it.

Then, Sir, new section 13A is proposed to be inserted after section 13. This provides for collection of award. Already section 14 provides for it and is applicable to the proceedings of land acquisition tribunal. There is no necessity to insert another section. Even if any correction is required or an amendment is needed, that can be covered under section 14 only, and there is no need for insertion of new section 13A.

Coming to some practicable problems, generally most of the States have decided not to acquire land of small farmers and poor people. But that is not binding on the Land Acquisition Officer; it is only a guideline; there is no mandatory provision. That is why, it is left at the discretion of the Land Acquisition Officer. I would request the Minister to provide an express provision in the Act not to acquire lands of poor people, the landless poor, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and I hope the hon. Minister will consider it.

There has been great corruption in the land acquisition process. Since the Land Acquisition Officers are given wide powers for selecting the land, to judge the suitability of the land, to award compensation etc., all these things are kept at the disposal of the Land Acquisition Officers. Thus, there is great scope for corruption which has got to be curbed by providing some definite provision in the Act.

Regarding compensation there has been a complaint all over the country that compensation is quite inadequate for the land acquired for public purpose. Generally, the land acquisition officers rely on the sale deed registered in the office of the Sub Registrar, pertaining to the adjoining lands. This is not correct. Whenever any sale transaction of land is made, it does not go to the Registrar's office with correct figures. This is done to enable them to escape from the payment of stamp duty, registration fee, etc. They generally show less amounts in the sale deed. That is why if the land acquisition officer is determining the compensation of the land on the basis of that cost, that is not correct. The land acquisition officer should take note of the local conditions and market position. He may make spot inspection and then fix adequate compensation. That is the most important requirement.

[Shri Puttapaga Radhakrishna]

The process of land acquisition is delayed because either the land holders or the land acquisition officers make a reference to a court of law under section 18 or under section 13. Whenever and wherever there is a dispute regarding the ownership of land or regarding apportionment of the compensation, the matter goes to a court of law, and a person who is in possession of land immediately before the acquisition is deprived of the enjoyment of the land, and he is not given any relief also at the time of land acquisition. The award may take some time. Here the Bill provides for two years, but for practical purposes years are spent for passing the award. If a reference is made to a court of law and if it takes a number of years, the person who is in possession of the land at the time of acquisition is very much suffering. So, I am of the opinion that there must be provision for giving interim relief to the occupant of the land. Let the ownership of the land be decided by a court of law then let the quantum of compensation be decided later on, but there must be some sort of immediate relief, interim relief, to the occupant of the land who is deprived of the enjoyment of the land immediately.

In view of these things I would request the hon. Minister, through you, Sir, to withdraw this Bill, examine all these aspects with a view to see that the interest of the persons whose land is acquired is protected and to bring forward a comprehensive law after considering the issues leisurely.

SHRI PRITHIBI MAJHI (Assam): Respected Vice-Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak because this is my first speech. Sir, the Land Acquisition Bill of 1984 which has been brought forward before this House, modifying the principal Act, would be more effective and reasonable as it ensures the interest of the poor and weaker sections. As you are aware, Sir, flood is the agony of many States, particularly of Assam State. Hundreds and hundreds of people become landless due to floods. So, I have my submission that the flood-affected people should be rehabilitated by acquiring land and giving it to them. They should also be provided with employment so that they can have their livelihood. The compensation payable to land owner for acquisition of land is, as per this Bill, reasonable. But in this connection I must request you not to harass agricultural cultivators by acquiring the land of those who are small or marginal farmers. Some instances may be pointed out where while acquiring land by some institutions—for example in some oilfields in Assam—it happens that the land of cultivators are acquired and the payment of compensation is delayed, putting them to great hardship. The farmers become landless and have to wander about for their livelihood. I request you to provide alternative land to these poor people in place of compensation in cash where the occupied land has been acquired for public purposes. Acquisition of surplus land which is unfit for cultivation should be used. I would like to draw your attention and to report that former landowners in collusion with the local revenue officials continue to enjoy the land, formerly declared surplus or even taken over by the State. The plea taken is that such land is too poor in quality to be cultivated and suitable plans for their use for public purposes have not been made. Such cases should be looked into expeditiously.

3P.M.

Sir, I hail from the tea garden labourers of Assam and and I want to say about the land problem of those labourers needs much attention. Tea garden labourers are forming a community consisting of various castes, creeds and religious who had migrated from different parts of India during British regime. Now they have settled there permanently and merged with the mainstream of Assam and the Assamese people. More than 4 lakh workers are working in abous 753 tea gardens in Assam, contributing a large portion of the tea production in India. They had been brought to different tea gardens of Assam by the British more than 150 years back and lodged in unhealthy thatched huts. These people now face the problem that they do not have enough land for cultivation, as a substitute for employment. The number of those who are on the pay-rolls is not more than 4 lakhs. These tea garden labourers,

when they retire or have to leave their service for any reason, find themselves completely in wilderness. They do not possess any land holding of their own. While they work in tea gardens, they can manage to live either in houses constructed by the tea gardens' management or somehow manage by themselves. As soon as they are to leave the job, they have to vacate the houses also, which were given by the management as incidence of employment. This being the case, this enormous population of Assam could be termed a "landless people" of the State and this is the burning problem of the State too. Moreover the land acquired by the State Government under the Land Ceiling Act has not been allotted to the retired and landless tea garden labourers, in spite of having been in possession by some labourers. As such a disastrous situation is on the way. But for political gains most of all are taking the opportunity to take advantage of their ignorance as and when required. Therefore I would like to request the Central Government to give much attention to this problem and issue necessary directions to the State Government on the subject. I also demand reservation of land and allotment of land to these downtrodden labourers so that at least they can have their shelter after their retirement from service. Sir, I am glad for the creation of the Tea and Ex-Tea Garden Labour Development Corporation in Assam which has been inaugurated by our beloved Prime Minister in the month of November 1983. This should have been created earlier; it is late. But I, on behalf of 45 lakhs of down trodden people, welcome it and hope that it will shoulder the fate of these people and bring about the miracle of development of these tea garden people. In this regard may I request the Central Government to allot more funds to strengthen the Corporation?

Sir, with these words I support the Bill. *Thank you.*

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, some of the speakers on this Land Acquisition Amendment Bill have not come forward to support this Bill fully though they have half-heartedly appreciated some of its provisions. Sir, I congratulate the hon. Minister for bringing comprehensive amendments to the Act which are long overdue.

Sir, as you know, this Land Acquisition Act is a pre-Constitution Act. The problems of a developing society were not present then. After our Constitution came into existence, the provisions of this law had to face a lot of legal battles. Finally it started with the Golaknath case —which has come to be called a judicial *Magna Carta*—and the well-known Privy Purses case was the final culmination in that direction. Thereafter, the Forty-fourth Amendment came and it took away the property right from article 19 of the Constitution. But the question is not whether it is a constitutional right or a civil right. For a poor man to pursue any remedy—whether it is a constitutional right or a civil right—is always a difficult task.

I congratulate the hon. Minister for taking sufficient precautions to safeguard the interests of the poor man whose land is being taken. She has not in her speech that the purpose of this Bill is to keep a balance between the need for acquisition for a public purpose and the right of the individual whose land is being taken. On the first question I need not take much time, but I thank her for increasing the scope of clause 3 where she has expanded the expression "public purpose." I think formerly that inculded only two types of agencies—Government itself and, thereafter, companies. But, looking at the needs of a developing society—a society which was transforming itself from an agricultures society into a socialist society—a lot of other institutions came into existence, for instance cooperative societies. Now, the inclusion of such institutions for public purpose has increased the scope, expanded the scope, for better economic activities. Therefore, I will confine my remarks to that part only.

Now I thank the hon. Minister for the preservation of the right of those whose property is being taken. My learned friend there was just now pointing out that the period of two year within which the proceedings before a Collector must end, is not a sufficient precaution. But I

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

think that is one of the laudable clauses by way of amendment to the Act. What was the scope of litigation before? It could linger on to any extent but now, for the first time, a time limit has been fixed. And it is said that if collector does not decide the proceeding, it will come to an end.

There are other two sections which are most important. Somebody remarked here that the officers may adopt the pick and choose method and may arbitrarily exercise this power. My reply is to look at section 4. What is the purpose of section 4? That a person whose land is proposed to be taken by the appropriate Government or company could file objection and say 'don't take this land; take other land'. So that is an untenable apprehension in the mind of my friend. My difficulty is whether it should be acquired under section 4 or section 6. There are two things put, an Official Gazette and a notice board 50-60 miles away from the place where the land is sought to be acquired. For the present, an amendment has been proposed here to the effect that it will be published at least in two newspapers. My suggestion is that a locality could also have been indicated. But the safeguard is much more than what was there in the previous Act without amendment. Now it will be earlier for the people to know that some land is being taken away. There is notification under section 4. So you can file objection: Don't take this land. Take any other land. I do not think there is any scope for criticism on that account. Now the greatest appreciation I hold with my experience at the Bar is that in every land acquisition proceeding provisions of section 17—urgency provisions were always applied, whether it was for Government or it was for company. Never was it followed in a normal course. So you have a case: whenever land acquisition started urgency provisions have been used and the normal procedure was always suspended. This amendment has made good such loss. First, it has Governded urgency proceeding by the Government for the company. If the land was taken for a company the urgency clause is for a company the urgency clause is applied and litigation will go on for 50 years. Neither will the compensation be determined nor will it be given and the poor man will be left only with litigation. Secondly, even if the amendment has been extended to organisations other than the companies, within the purview of that, there is much more surety to the man whose land is taken away by providing that 80 per cent of the compensation has to be deposited before hand. I think this is a laudable part of the Act which must be appreciated, that at least the compensation money is assured to the poor man whose property is taken away.

There are a lot of other sections. I can quote section by section and can give my point of view in apprectiation.

The only thing that the Opposition has said which, I think, the hon. Minister will consider is as follows. I quote from his speech in the other House which I got this morning. It might be practicable to make legal prescription for compulsorily providing alternative land to those who had lost their living. Whatever could be done, must be done. We have urged upon the State Governments to ensure it. No effort should be spared to ensure that in appropriate causes such measures will be taken in future with a much greater degree of thoroughness and purposefulness. Supposing a man is a landlord or he has one or two acres or half an acre of land and you take away his land, he becomes landless. The idea was to provide him some alternative land. Supposing it is not possible to provide him an alternative land, may I suggest to the Minister that he should provide him an alternative job. Supposing some land is being taken away for construction of a co-operative sugar mill, by a statutory provision he should ensure this. So far only by way of Government assurances it has been done. But by way of a statutory provision he should ensure that in the mill which is being constructed on such a land, he will be provided job first and then others. From my practical experience I am speaking that land-acquisition proceedings cover a whole village or two villages or three villages and a popuation of 2,000, 3,000 got uprooted. Compensation is not the appropriate reply. I request that she should consider these practical difficulties. In a welfare state,

the state should provide the means of livelihood. She should ensure that in such cases, when there is acquisition of their land, they should provide them alternative means of livelihood.

With these words, I support the Bill.

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1984 एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील विधेयक है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया को विशेष बधाई देता हूं । विधेयक की धारा 3 के अंतर्गत सार्वजनिक कार्य (पब्लिक परपजेज) एवं सरकारी प्रतिष्ठान की विशेष व्याख्या की गई है । जो आवश्यक थी । धारा 4 में सरकारी परिपत्र के अलावा, स्थानीय समाचार-पत्रों में खासकर एक स्थानीय भाषा का हो, अधिग्रहण की सूचना दी जायेगी । यह भी एक उपयोगी विधेयक है । धारा 8 में आपसी समझौते के आधार पर जो किसान जिनकी जमीन लिखित रूप में ली जाती है, अपनी मंजूरी देंगे तो जिलाधीश अविलम्ब अपना निर्णय देंगे धारा 23 के अंतर्गत और उससे पूर्व धारा 11(ए) के अंतर्गत मुआवजा निर्धारित करने के लिए दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया है और यदि इतने समय में निर्धारण नहीं हुआ तो उसकी जो प्रक्रिया है वह अवैध मानी जायेगी । यह भी एक बहुत उपयोगी प्रावधान है । धारा 23 की जो नई उपधारा 1(ए) है उसके अंतर्गत अधिग्रहण करने की सूचना या जो तिथि अधिग्रहण करने की है उससे जिलाधीश जब निर्णय देंगे तो निर्णय की तिथि से दोनों में से जो पहले हो उस तिथि से 12 प्रतिशत उनको आर्थिक मुआवजा मिलेगा जब तक कि मुआवजा पूरा मिल नहीं जायेगा । यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है । कुछ लोगों को इसमें गलतफहमी है कि जब से जमीन ले ली जाती है तब से मुआवजा मिलना चाहिए और जब सूचना दी जाती है उस समय इसको तिथि को कबूल नहीं करना चाहिए । मैं समझता हूं, व्यावहारिक पक्ष यह है कि जब सूचना दी जाती है तब आसपास की जमीन का, भूमि का दाम बढ़ जाया करता है । इसलिए इस बिल में जो प्रावधान किया गया है वही उचित है । धारा 28 के अनुसार बाकी मुआवजे की रकम पर अब 6 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत ब्याज मिलेगा । एक साल के बाद यह ब्याज का दर 15 प्रतिशत होगा । यह बहुत ही उपयोगी है । साथ ही साथ धारा 23 में यह भी प्रावधान है कि जो अभी मुआवजे के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिला करता था उसकी जगह 30 प्रतिशत लोगों को मिला करेगा । ये सारे प्रावधान बहुत ही प्रगतिशील हैं, अच्छे हैं और किसानों के हित में हैं । मैं मंत्री महोदया जी से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि धारा 3 की उपधारा 6 में सार्वजनिक कार्यों (पब्लिक परपजेज) की व्याख्या में स्थानीय निकाय (लोकल अथारिटी) एवं सोसायटी जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, 1860 के अंतर्गत जो संस्थाएं पंजीकृत होती हैं, उनका उल्लेख है । सार्वजनिक निधि जो पब्लिक ट्रस्ट है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1872 के अंतर्गत पंजीकृत होती है, उसका उल्लेख नहीं है । यह एक ऐसा आवश्यक कार्य है क्योंकि ट्रस्ट का जो अधिकार होता है, उनका उद्देश्य बिना हाईकोर्ट की अनुमति के बदला नहीं जा सकता है । सोसायटी का उद्देश्य सदस्यगण बदल सकते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक कार्यों में इस निधि का भी नाम दिया जाना चाहिए । मैं समझता हूं इसमें जो प्रावधान है—

under any corresponding law for the time being in force in a State

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

इसके अंतर्गत यदि माननीय मंत्री महोदया इसका स्पष्टीकरण करें कि अधिकाधिक समावेश होगा तो इसका तात्कालिक काम चल सकता है ।

मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं । पहला सुझाव है, जो मूलभूत है, वह भूमि के संतुलित उपयोग का है । भूमि की कमी और बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए भूमि का संतुलित उपयोग होना नितांत आवश्यक है । बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम है कि भारत वर्ष में जमीन बहुत ज्यादा है । इसलिए संतुलित उपयोग की आवश्यकता नहीं है । यह धारणा बहुत भ्रामक है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की भोगोलिक दृष्टि से जमीन 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से 30.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है और इसमें से खेती लायक केवल 14.2 करोड़ हेक्टेयर ही उपलब्ध है यानी 47 प्रतिशत खेती के लायक जमीन उपलब्ध है और 6.6 करोड़ हेक्टेयर जो है, यह जंगल की है यानी 21.7 प्रतिशत जमीन जंगलों के अंतर्गत है और बाकी 31.3 प्रतिशत जो जमीन है, ऐसी है, जो उपयोगी नहीं है, खेती के लायक नहीं है, काम के लिए उपलब्ध नहीं है । इस स्थिति में और खासकर विश्व के दूसरे देशों की तुलना करें तो आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति 3.42 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, कनाडा में 1.98 हेक्टेयर जमीन प्रति व्यक्ति उपलब्ध है, रूस में 0.94 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति उपलब्ध है, अमरीका में 0.92 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति उपलब्ध है और भारतवर्ष में केवल 0.24 हेक्टेयर जमीन की प्रति व्यक्ति उपलब्ध है । इस दृष्टि से भी नितांत आवश्यक है कि जमीन का संतुलित उपयोग हो ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश की आबादी है, वह विश्व की आबादी का पन्द्रह प्रतिशत है, जबकि जमीन 2.4 प्रतिशत ही विश्व की हमारे पास हमारे देश में है । इस दृष्टि से भी लगभग छह गुने की कमी है और इसलिए आवश्यक है कि जमीन का ख्याल करें क्योंकि आगे चलकर हमारी आबादी बढ़ रही है । जहां 1951 में हमारे देश की आबादी केवल 36 करोड़ थी, वह 1981 में 68 करोड़ हो गई और इस शताब्दी के अन्त तक यह महसूस किया जाता है कि हमारी आबादी 95 करोड़ हो जाएगी और 2,020 में यह आबादी बढ़ कर 130 करोड़ होने वाली है । इस दृष्टि से जमीन की स्थिति क्या होगी ? इस पर गौर करना नितांत आवश्यक है ।

इन बातों को ध्यान में रखकर बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ हमारी जो आवश्यकतायें है, वह केवल आवास की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सभी आवश्कतायें बढ़ी हैं और उसमें जमीन भी बहुत बड़ा हिस्सा है । हमारे लिए यह भी देखना जरूरी है कि विकास की जो योजनाएं बन रही हैं, सिंचाई की योजना, बाढ़ रोकने की योजना, बिजली की योजना, औद्योगीकरण की योजना और इसी प्रकार से आवास की योजना । शहरों में खासतौर से जो आवास तथा अन्न की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए खरीफ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ता है । इसलिए यह आवश्यक है कि जमीन सीमित है और इस दृष्टि से कोई संतुलित मापदण्ड होना चाहिये । भूमि अधिग्रहण के समय इस बात को देखा जाए । बहुत सी योजनाओं के अन्तर्गत 4 हजार, छह [illegible]

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

है । क्या आप कोई मापदंड बनायेंगे कि कितनी जमीन नितान्त आवश्यक है, कितनी जमीन से ही काम चलेगा और अधिक न ली जाए ? इस का भी कोई प्रावधान इस विधेयक में होना चाहिए था । रूलेज के अन्तर्गत ऐसा कर दिया जाए तब भी काम चलेगा । मैं निवेदन करूंगा कि जमीन के उपयोग के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाए विशेषज्ञों की राय लेकर कि किस प्रकार से जमीन का उपयोग संतुलित ढंग से हिन्दुस्तान में किया जाए ।

दूसरी बात है भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में । जब छोटे किसानों और गरीबों की भूमि चली जाती है तो उनका सर्वस्व ही चला जाता है । जब से मनुष्य इस धरती पर आया है जमीन के साथ उसका एक बहुत बड़ा सम्बन्ध है । जीवन की जो तीन आवश्यकताएं हैं आवास की, भोजन की और वस्त्र को उन तीनों का सम्बन्ध जमीन से है । इस लिए आवश्यक है कि हमारे इतिहास में संस्कृति में जमीन के साथ हमारा सम्बन्ध बहुत गहरा जुड़ा हुआ हो । हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम जमीन का मुआवजा तय करें तो इस दृष्टि को सामने रखें । जमीन के एक-एक टुकड़े के लिए लोग प्राणों की बाजी लगा देते हैं । छोटे किसानों और सीमान्त किसानों में झगड़े होते रहते हैं और ऐसे मामलों को लेकर मुकदमे बड़ी संख्या में कोर्टों में रहते है । जमीन लेने से उनकी जो आह निकलती है, उनकी जो तड़प है, जमीन के प्रति उनका जो ममत्व है, सैकड़ों वर्षों से उस जमीन के साथ उनके परिवार का जो प्यार रहा है उसके सम्बन्ध में भी हमें सोचना चाहिए । 30 प्रतिशत जो अतिरिक्त दिया गया है वह कुछ है, लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुआवजे का जो आधार है, वेल्युएशन का जो बेसिस है उसमें कानूनी दिक्कतें होती हैं । अलग अलग कानून की दृष्टि से विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा जमीन ली जाती है और उसके लिए कोई मापदंड नहीं है, क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे सम्पत्ति कर के लिए आधार अलग हैं, मृत्यु कर के लिए आधार अलग हैं, शहरी भूमि सीमा कानून अलग हैं, कई सार्वजनिक संस्थाएं जैसे डी० डी० ए० वगैरह लेती हैं उनका कम्पेनसेशन लेने का आधार अलग है । जिलाधीश के अलग-अलग आधार अलग-अलग जगहों में हैं । कई जगह ऐसी हैं जहां बाजार दर देना सम्भव नहीं है जैसे बिहार के सन्थाल परगना जिले में कानूनी दृष्टि से भूमि की बिक्री पर रोक है । वहां बाजार दर उपलब्ध नहीं है इसलिए इस दृष्टि से देखना जरूरी है कि बाजार दर देना मुश्किल है, लेकिन कोई मापदंड या आधार बनाना जरूरी है जिस से कि जो जिलाधीश वह केवल अपने ही मन से जैसा चाहे उस तरह से निर्धारित न करें । जहां बाजार दर तत्काल उपलब्ध न हो वहां उस मापदंड के आधार पर उस का मुआवजा निर्धारित किया जा सके तो जो बहुत तरह की अनियमितता है उस में कमी आयेगी ।

पुनर्वास की योजना के सम्बन्ध में चर्चा हो गयी है । पुनर्वास की योजना सीमान्त किसानों के लिए, गरीबों के लिए बनाई जाए, उनको उचित आवास, जमीन

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

के बदले जमीन अथवा नौकरी दी जा सके । कई जगह कहते हैं डेढ़ एकड़ तक जमीन हो तो नौकरी मिलेगी, जिनका एक एकड़ आधा एकड़ होगा उनको नहीं मिलेगी । वह तो और भी गरीब हैं ? इस पर गौर किया जाना चाहिए । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक हित के लिए जो जमीन एक्वायर की जाती है उस पर मुनाफा नहीं लिया जाना चाहिए । मान लीजिए कोई संस्थान है जैसे डी०डी०ए० यदि वह किसानों की जमीन अधिग्रहण करता है तो उसका विकास कर के उचित मूल्य पर बिना लाभ के लोगों को दे तो उचित है। यह उचित नहीं है कि कम दामों पर जमीन किसानों से ली जाए और उसे अधिक दामों पर बेचा जाए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम 90 साल पुराना है । इसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं, लगभग 16 बार परिवर्तन हो चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर विशेषज्ञों की राय लेकर ऐसा विधेयक तैयार किया जाए जिसमें कि सारे विचार आ जाएं और पूर्ण रूप से इसको प्रभावशाली बनाया जा सके जिसके आधार पर लाखों लोगों के जमीन सम्बन्धी झगड़े निपटाए जा सकें, मुआवजे सम्बन्धी प्रश्नों का हल किया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके ।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI PREMILABAI DAJISAHEB CHAVAN (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Land Acquisition Amendment Bill. I support this Bill because this is concerned with common man, particularly with our Prime Minister's 25-point programme. The importance lies in the implementation of this programme. I, therefore, congratulate our Government on bringing this Bill in time although it has been pending for a long time. Many persons are suffering great losses due to non-payment of compensation. They are sons are suffering great losses due to sult they have gone to the court where also no decision has been taken and cases are pending. That is why I say this Amendment Bill is very useful in the development of our country. The cause for which this Bill has been brought will be well served. I would only like to make a few suggestions. In Maharashtra the Land Acquisition Act is implemented in a great way and with great success. My appeal, therefore, is other States should follow the example set by Maharashtra. The Maharashtra Government has given alternative lands for the lands acquired. Then compensation for the land acquired has been paid then and there. So naturally many people have come forward offering their lands for big projects. Another important point is our Maharashtra Government has acquired land from big landlords and given it to the landless people. Maharashtra Government did not face any problem or difficulty in the implementation of this Act. Maharashtra Government has given lands to landless people poor farmers and has also financed them to develop those lands. Lands were acquired for big projects like Koyna Dam and many other industries, big industries. For such purposes the poor people give their lands readily. Of course, in return our Government has taken care to see that proper compensation is given to them in time, alternative lands are given to them without loss of time. Maharashtra Government has done a very nice and commendable job in regard to land acquisition. It has also given lands to poor farmers to enable them grow more sugarcane and other things. Now our Government is keen to acquire lands only for purposes like big projects, hospitals, educational institutions and removal of slums. Everyone knows about our progressive State. Our State Government has done a very nice job. Our State is also very well-known for its urban land ceil-

ing laws which our Government is very successfully implementing. At present our able Chief Minister, who is himself a farmer, knows the real difficulties of the farmers in our *krishi pradhan desh*. I am sure he will make this Bill also a very great success in our State.

I congratulate our Hon'ble lady Minister, Shrimati Mohsina ji who is very well-versed with this subject and who has taken keen interest in protecting the interests of poor farmers and the landless people. With these words, I support this measure and thank you very much for giving me this chance to speak.

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं उन तमाम मैम्बरान का, जिन्होंने इस लैंड एक्वीजिशन बिल के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार किया। कुछ मैम्बरान ने बहुत अच्छे कुछ सुझाव भी दिये और कुछ मैम्बरान ने समर्थन भी किया और कुछ ने थोड़ी मुखालिफत भी की कुछ क्लाजेज की। जनाब सदर साहब, यह जो हमारा बिल है यह बहुत दिनों से, जैसा कि आपको मालूम है 1894 का यह बिल है जिसमें यह अमेंडमेंट किया जा रहा है। 90 वर्ष के बाद आ रहा है। यह बात सही है कि बहुत दिनों से इसकी जरूरत थी लेकिन यह किसानों से सम्बन्धित था इसलिये बहुत सोच-विचार के बाद, मैम्बरान साहब को मालूम होगा कि इस पर मुल्ला कमेटी बैठाई गई थी और 1967 में उन्होंने इनडैप्थ इन तमाम चीजों को देखा और उनकी रिइमेडेशंस भी आई और दूसरे लोगों की भी इसमें राय ली गई और उसके बाद इस बिल में अमेंडमेंट किया गया। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की कोशिशों के बाद यह बिल यहां आ सका और उन्हें हमेशा इसकी चिंता रही कि जो छोटे किसान है, छोटे काश्तकार हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिये। हमारी एक डवलपिंग कंट्री है। उसके तहत हमें इंडस्ट्रीयलाइजेशन की तरफ भी देखना है, विकास की तरफ भी देखना है। साथ ही साथ जैसा मैंने अपने आपनिंग रिमार्क्स में कहा कि उन लोगों का हित भी देखना है जिन पर असर इसका पड़ता है, जिनकी जमीनें हम लेते हैं। मान्यवर, हमारा यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि छोटे किसानों की जमीन हम खासतौर से लें या हम ऐसे किसानों की लें, छोटे लोगों की लें, जैसा कि कहा गया कि उनका सिर्फ यही एक जरिया है, छोटी सी जमीन जिनके पास है। बहुत से मेम्बरान ने यह बात भी कही कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं लेनी चाहिये। कुछ ने कहा कि छोटे किसानों की लैंड नहीं लेनी चाहिये, कुछ लोगों ने कहा कि जो ऊसर लैंड है उसको ही लेना चाहिये। यह सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लेनी चाहिये। लेकिन अगर हमने कहीं एक हजार एकड़ जमीन ली है और उसमें एक पेच एग्रीकल्चर लैंड का आ गया तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, वह नहीं बचाया जा सकता है। यह हम नहीं चाहते कि वह जमीन ली जाए लेकिन मजबूरी है, हमें लेनी पड़ती है। कई ऐसी मिसालें आती है जिसमें मजबूरी होती है सरकार के सामने। स्टेट गवर्नमेंट्स को यह खासतौर से हिदायत है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते है, बड़ी-बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, कारखाने लगते हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा ऊसर लैंड लेने की कोशिश की जाए। मान्यवर, जब कभी कहीं भी हम विकास का कार्य शुरू करते हैं, चाहे सड़क हो, नहर हो, बड़े-बड़े कारखाने हों, उनके लिये जमीन लेनी जरूरी होती है और जब जमीन

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

लेनी जरूरी हो तो किसान की जमीन उसमें जायेगी । हमारी कोशिश होती है कि एग्रीकल्चर लैंड न हो, छोटे किसानों का जमीन न हो और ज्यादा से ज्यादा ऊसर जमीन हो । लेकिन कभी-कभी हमें एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ती है, छोटे किसानों की भी, नहीं चाहते हुए, उनकी ये जैरियेमाश ले लेते हैं । मैं मेम्बरान से यह दरख्वास्त करूंगी, जितने मेम्बरान यहां बोले उनमें मैं माननीय सदस्य श्री सिंह की बहुत आभारी हूं । उन्होंने पूरे बिल पर क्लाज बाई क्लाज बिलकुल सही दृष्टि से जो एमेंडमेंट्स की गई है उन पर अपनी राय जाहिर की है । बाकी मेम्बरान ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की है । हमारा पिछला रिकार्ड है और यह बात सही है कि 20-25 वर्षों से सैक्शन (4) में नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला । यह कहा गया कि नोटिफिकेशन के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिला । ये सारी चीजें बिलकुल सही है । इन सारी दिक्कतों को देखते हुए ये एमेंडमेंट्स लाने की जरूरत पड़ी । ये नई एमेंडमेंट्स है । सबसे बड़े दो चार सवाल उठाये गये है । सबसे बड़ी बात यह कही गई कि मार्किट रेट पर मुआवजा देना चाहिए । यह बात सही है । लेकिन मार्किट रेट किस तरह से एसेस किया जाए ? बहुत से मेम्बरान ने कहा कि सेल्स डीड्स के आधार पर होना चाहिए । लेकिन जो जमीन की रजिस्ट्री कराते है वह कम पैसों में कराते हैं, इसलिए उसके आधार पर भी नहीं हो सकता है । किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि मार्किट रेट किस तरह से एसेस किया जाए । इस बारे में मुल्ला कमेटी भी बैठी थी । उसने कहा कि सेक्शन 4(1) से इसको देखना चाहिए और मार्किट रेट लेना चाहिए । लेकिन उसको भी एसेस नहीं कर सकते है । इन तमाम चीजों से बचने के लिए अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात इस बिल मे यह की गई है कि तीन साल की टाइम लिमिट रखी गई है । तीन साल के अन्दर कलेक्टर को प्रोसीडिंग्स सेक्शन 4(1) से सेक्शन 11 तक पूरी कर देनी होंगी । जसमें भी सेक्शन 6(1) से सेक्शन 11 में दो साल और सेक्शन 4(1) से सेक्शन 6(1) तक एक साल का वक्त है... **(व्यवधान)** । आप सुनिये तो सही । जब यह नोटिफिकेशन करेगा सेक्शन 6(1) से वह मुआवजा देगा और वह एक साल का है । पूरे प्रोसीडिंगज तीन साल के अन्दर पूरे करने होंगे । जैसा कि प्रधान मंत्री जी का जिक्र यहां पर बारबार किया गया है कि वे मार्किट रेट पर मुआवजा देना चाहते हैं । यह सही है, वह मार्किट रेट पर मुआवजा दिलवाना चाहती है । इसलिए मैंने कहा कि सेक्शन 4(1) से सेक्शन 6(1) तक केवल एक साल का वक्त दिया गया है ।

श्री राम चन्द्र विकल : जो जमीन सन् 1959 में एक्वायर कर ली गई थी या सन् 1960 में एक्वायर कर ली गई थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : आप सवाल पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ लीजिये । अभी बीच में इन्टरप्ट मत कीजिये ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं यह कह रही थी कि जहां तक मार्किट रेट का सवाल है, सेक्शन 4(1) से सेक्शन 6(1) तक एक साल का वक्त दिया गया है । एक साल में मार्किट रेट कितना बढ़ना

है, इसका आप एसेसमेंट करें। इसलिए इसका प्रोविजन किया गया है कि गोलवोलेशियम 15 परसेंट से बढ़ाकर 30 परसेंट और ऊपर से नोटिफिकेशन के वक्त के मार्किट रेट पर प्रतिवर्ष 12 परसेंट और दिया जाएगा। इस तरह से यह 42 परसेंट एक किसान को एक साल में मिल सकता है। अगर किसान की जमीन सन् 1984 में सौ रुपया गज है तो सन् 1985 में उसको 142 रु० के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और तीन साल के अन्दर उसकी प्रोसीडिंग होती है तो 166 रु० पर स्क्वायर यार्ड मिलेगा। इस तरह से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 66 परसेंट ऊपर मिलेगा जितना उनका नोटिफिकेशन के वक्त था तीन साल का वक्त इसलिए रखा गया है कि अगर तीन साल में कलेक्टर पूरी प्रोसीडिंग्ज नहीं करता है तो वह सारी प्रोसीडिंग्स लेप्स हो जाएंगी। नये सिरे से सेक्शन 4(1) में फिर से नोटिफिकेशन करना पड़ेगा मैं यह यकीन दिलाना चाहती हूं कि यह जो बिल है इससे बड़े-बड़े किसानों और बड़े बड़े जमींदारों को शायद इससे नुकसान हो, लेकिन जो छोटे किसान है उनके हितों को ध्यान में रखकर यह बनाया गया है। सबको इसका फायदा होने वाला है। अगर आप इसकी एमेंडमेंट्स को देखें तो आप इसकी सराहना करे बगैर नहीं रह सकते है। लेकिन विकल जी ने भी और श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने भी इसकी सराहना नहीं की, अच्छी बातों की सराहना नहीं की। इसमें क्लाज 9 में जैसा मैंने बताया, जो अमेन्डमैंट की गई है, उसमें टाइम लिमिट फिक्स की गई है। यह कहा गया है कि इससे पुराने लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। फर्ज कीजिये कि सन् 1950 में जमीन एक्वायर की गई और उसका मुआवजा नहीं मिला। दो तरह की इसमें चीजे हैं। उनको 12 प्रतिशत मिलेगा चाहे 50 से ही ली हो या 40 से ली हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : 12 प्रतिशत मिलेगा। लेकिन मुआवजा क्या मिलेगा। नोटिफिकेशन 59 में हुआ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : वह तो माना जावेगा। वह नहीं हटाया जा सकता जो नोटिफिकेशन हो चुका है वह रहेगा।

इसके अलावा 30 प्रतिशत सोलेशियम मिलेगा। और नोटिफिकेशन के वक्त के मार्किट रेट पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त यह मिलेगा। अगर सैक्शन 4 में नोटिफिकेशन हो चुका है तो उसको 42 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है, अवार्ड भी उसका हो चुक है और अवार्ड नहीं मिला तो उसको 15 प्रतिशत इन्टरेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से अगर किसी की जमीन उस वक्त 1950 में सौ रुपये ली गई थी तो उसको लगभग 300 के करीब इस वक्त मिलेगा। इस हिसाब से जमीन की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन फिर भी . . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 100 गुना बढ़ गई हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जितनी भी बढ़ी हैं लेकिन सैक्शन 4 जिस दिन लगाया जाता है, जिसको मालूम है कि जमीन ली जायेगी, जो छोटे किसान हैं वे कोर्ट में नहीं जा पाते, बड़े बड़े किसान कोर्ट में चले जाते हैं और उन को मुआवजा मिल जाता था लेकिन इस में जो अमेन्डमैन्ट की गई है उस में अगर एक किसान कोर्ट में जाता है और कोर्ट अवार्ड करता है कि उसको मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिये तो उसके आस-पास की जितनी जमीन है

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

छोटे छोटे किसानों की, जो कोर्ट में नहीं जा सकते उनको भी मुआवजा मिलेगा। उसको कलैक्टर की दरख्वास्त देनी होगी और उसको मुआवजा दिलवाया जायेगा । इस में इतना जबर्दस्त अमेंडमेन्ट किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि कलेक्टर के पास जो किसान जाते थे जिनके मुआवजे के लिये नोटिफिकेशन की बात विकल जी ने कही यह बात सही है कि पहले होता था वह यह था कि नोटिफिकेशन घोषित होता था और वह आफिशियल गजट में आ जाता था और उसके बाद 30 दिन लग जाते थे । इस में जो अमैन्डमैन्ट किया गया है आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन के साथ पब्लिकेशन भी जरूरी है और जिस दिनपब्लिकेशन होगा उस दिन से 30दिन माना जायेगा। पब्लिकेशन दो डेली न्यूज पेपर्स में होगा। उन दो में से यह जरूरी है कि एक रीजनल लेंगवेज में हो ।

श्री राम चन्द्र विकल : वहां अखबार कोई नहीं पढ़ता । आपको चाहिये कि उनको नोटिस सर्व किया जाये . . (**व्यवधान**

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) । विकल साहब . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राम चन्द्र विकल : उसका रिकार्ड होना चाहिये । चपरासी जाकर समन दे । अखबार कोई नहीं पढता, तभी उनको पता पड़ेगा ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आप इसमें पढ़िये । नोटिस भी देंगे और न्यूज पेपर्स के अन्दर भी निकलेगा और जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि पुराना जो ढुग्गी पीटने वाला तरीका है वह मौजूद है ही, यह लोकल तरीका है इस के अलावा अब पढ़े लिखे आदमी बहुत हो गये हैं । कोशिश की जायेगी कि कैसे नोटिफिकेशन के सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : आप डाइरेक्ट सूचना दे दीजिये । इस में क्या हर्ज है ?

श्री राम चन्द्र विकल : उनको डाइरेक्ट सूचना जानी चाहिये ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : डाइरेक्ट सूचना दिलाई जाती है । लेकिन इस में यह है कि गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसके अलावा भी उनको सूचना दी जाती है । लेकिन सूचना उनको कभी मिलती है कभी नहीं मिलती । इस लिये सैंपेप में भी निकालेंगे और इस के अलावा जो वहां का पुराना कायदा है . . . (**व्यवधान**) . . .

इसी तरह से इस में मान्धवर जो कारपोरेशन और सोसायटी का है वह आपने देखा होगा कि यह भी बहुत सराहनीय अमैंडमेंन्ट है । इसके अलावा जो रीहेब्लीटेशन की बात कही गई है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि रीहेब्लीटेशन का काम जरूरी है । लेकिन जैसा अभी प्रमीला चौहाण ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जमीन के बदले जमीन देने की योजना बनाई है । स्टेट अपने यहां अपने कानून बना सकते है कि कैसे उनको रीहेबीलीटेट करें या किस तरह से उनको रोजगार दिलवाया जा सके, इसकी उनको छूट है । लेकिन यहां से किसी कानून के जरिये किसी जमीन के बदले जमीन या रीहेब्लीटेशन कानून के जरिये से दिलाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है । वैसे स्टेट्स गवर्नमेंट को बाकायदा ये हिदायते हैं और बाज बाज स्टेट्स गवर्नमेंट्स कर रही हैं कि जिनकी जमीन ली जाती है उस खानदान के एक सदस्य को उस में

नौकरी देना जरूरी होता है और उनको नौकरी दी जा रही है । लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लंघन भी होता है, यह मुझे मालूम है । जहां पर जिन मैम्बरान ने अपने खयालात का इजहार किया है, जब स्टेट गवर्नमेंट को गाइड लाइंस दी जायेगी तो उस में उनका पूरा खयाल रखा जायेगा और किस तरह से उन छोटे किसानों का हित हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनका रीहेब्लीटेशन कराने में हम किस तरह मदद दे सकते हैं । यह एक सीमित कानून है कि हम कैसे पब्लिक परपज के लिये जमीनें जो लोगों की लेते हैं, उस वक्त के लिये यह कानून है । इसके अलावा लेंडलेस के लिये इम्पलाइमेंट की व्यवस्था और न जाने कितनी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में इस वक्त मैं तफसील से नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन यह सब स्कीमें ऐसे ही लोगों के लिये हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० स्कीमें हैं जिन से उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है । बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण विकास की योजनायें हों ये सब इससे अलग है जिनके जरिये से उनको रोजगार दिलाने की, रिहेबिलिटेट कराने की पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने की बात की है । इस वक्त जितनी भी स्कीम्ज हैं वे सब उसी तबके के लिए हैं जिसकी बात आप कह रहे हैं और जिसकी वकालत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही हैं और हमारा प्रयास यह है कि जितनी भी सारी स्कीम्ज बनाई गई हैं, योजनायें बनाई गई हैं उन से इन तबकों को पूरा फायदा हो सके । इन शब्दों के साथ जितनी बातें कही गई हैं । उनका जवाब दिया है लेकिन एक बात हाशमी साहब ने कही कि रिलीजियस प्रापर्टीज हैं उनको भी ले लिया गया मैं समझती हूं कि आज तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसमें कोई गुरुद्वारा, मन्दिर, मस्जिद या गिरिजा को एक्वायर किया गया हो । यह सख्त हिदायत है स्टेट गवर्नमेंट्स को..... **(व्यवधान)**

श्री सैयद अहमद हाशमी : मस्जिद को एक्वायर करने की मिसाल है । (इमामबाड़ा, ईदगाह.....**(व्यवधान)** इलाहाबाद यहाई कोर्ट का फैसला है.... **(व्यवधान)**

†[ڈاکٹر سید احمد ہاشمی : مسجد کو اکوائر کرنے کی مثال ہے - امام باڑہ - عید گاہ .....(مداخلت).....

الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے.....

(مداخلت).....]

श्रीमती मोहसिना किदवई : लैंड एक्वीजीशन एक्ट के जरिए से लेने की कोशिश... **(व्यवधान)** यह जो हम चाहते हैं उसमें कुछ अच्छा हो तो अच्छाई की गुंजाइश इसलिए नहीं होती... **(व्यवधान)**

श्री सैयद अहमद हाशमी : आप बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए । मेरी समझ से आप मुत्तफिक होंगी, आप यह नहीं चाहेंगे कि माइनार्टीज का इंट्रेस्ट इस मुल्क के अन्दर खत्म हो, **(व्यवधान)** किसी भी सेक्शन आफ रिलीजन का इंट्रेस्ट खत्म हो यह आप है

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

नहीं चाहेंगे इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप एश्योर करें कि इसको मुनासिब वक्त में सूटेबली अमेंडमेंट कर दिया जाएगा (व्यवधान)

†[شری سید احمد ہاشمی : آپ

بہت سوچ سمجھکر جواب دیجئے - میری سمجھ سے آپ متفق ہوں گی - آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مائناریٹیز کا انٹریسٹ اس ملک کے اندر ختم ہو .....(مداخلت)..... کسی بھی سیکشن آف ریلیجن کا انٹریسٹ ختم ہو - یہ آپ نہیں چاہیں گے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ایشور کریں کہ اس کو مناسب وقت میں سوٹیبلی امینڈ کر دیا جائے گا -]

श्रीमती मोहसिना किदवई : देखिए, मैं आपसे यह कह रही हूं कि किसी भी रिलीजन की जो रिलीजियस प्रापर्टी है उसी में सारी इबादतगाहें आती हैं और कोई भी सरकार खास तौर से हमारी सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहती कि किसी रिलीजियस प्रापर्टी को एक्वायर किया जाए और किसी को कोई ठेस लगाई जाए लेकिन आजकल की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह से इबादतगाहों का एक्सप्लायटेशन होता है।

श्री सैयद अहमद हाशमी : इसलिए उनको एक्वायर कर लिया जाए ।

†[شری سید احمد ہاشمی : اس

لئے انکو اکوائر کر لیا جائے -]

श्रीमती मोहसिना किदवई : बिल्कुल नहीं, एक्वायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और न एक्वायर करने की कोई मंशा है। स्टेट गवर्नमेंट्स को यह सख्ती के साथ हिदायत है कि इस किस्म का कोई प्रापर्टी . . . (व्यवधान)

श्री सैयद अहमद हाशमी : यह बहुत खराब बात है लैंड एक्वीजीशन एक्ट में बहुत सी खामियां है, उनको दूर कर दिया जाए जिसको प्रोपर तरीके पर अमेंड कर दिया जाए ।

†[شری سید احمد ہاشمی : یہ

بہت خراب بات ہے - لینڈ اکویزیشن ایکٹ میں بہت سی خامیاں ہیں - ان کو دور کر دیا جائے - اس کو پروپر طریقہ پر امینڈ کر دیا جائے -]

श्रीमती मोहसिना किदवई : आपका जो सुझाव है उसको देखा जाएगा और कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स उसका पालन करें, यह जरूर देखा जाएगा । जो आपने सुझाव दिया है उसको नीचे तक सही ढंग से पहुंचाया जाए और उसको एनजीक्यूट कराया जाए यह आपके कहने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स से कहा जाएगा । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं मेम्बरान से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि वे इस बिल को पास करें जिसके जरिये से किसानों को बहुत ही फायदा होने जा रहा है ।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): The question is:

"That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 9 (Insertion of new section 11A)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

There are two amendments by Mr. Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

1. "पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 30 में 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

2. "पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 34 से 36 हटा दी जायें।"

मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं इस अमेंडमेंट के ऊपर बोलूंगा भी।

मान्यवर, यह आपने सोच समझ कर दो वर्ष किया है। इस कारण कि बहुत लम्बे समय तक ये अवार्ड्स नहीं दिये जाते हैं। मैंने एक वर्ष दिया है। एक वर्ष भी बहुत होता है यह आपको सोचना चाहिए। इसी लिए मैंने दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष लिया है। दूसरा यह है कि पेज 5 पर पंक्ति 34 से 36 हटा दी जाय। यह प्राविजो जब आपने बिल 30 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में पेश किया था तो उस समय नही था। यह बाद में हुआ है। फिर आपने ही जो प्राविजो अब लोक सभा में पेश किया था उसमें केवल 3 वर्ष रखा था। अब आपने उसमें 3 वर्ष भी डिलीट कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 25 वर्ष से जमीन के एक्विजीशन की कार्यवाही चल रही है वह अनलिमिटेड पीरीयड तक चलती रहे..

श्रीमती मोहसिना किदवई : नही नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह तो है ही। आपका यह प्राविजो जो है :

"In computing the period referred to in this section any period or periods during which the proceedings of the acquisition of land were held or on account of any stay or injunction by the court shall be excluded."

श्रीमती मोहसिना किदवई : नही नहीं, यह तो कोर्ट का है... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आपने तो निकाल दिया 3 वर्ष तक पीरीयड। पहले तो कहा था 3 वर्ष बाद कुछ नहीं होगा। पहले पीरीयड नहीं था। फिर 2 वर्ष रख दिया फिर 3 वर्ष रख दिया। अब अनलिमिटेड टाइम कर दिया। तो ये दोनों बातें है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I shall now put amendment Nos. 1 and 2 to vote.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I shall now put clause 9 to vote. The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Statement

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): We shall now take up clause 13. There is one amendment.

Clause 13—Amendment of section 17

श्री बीरेन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

3. "पृष्ठ 6 पर, पंक्ति 38 में 'जल निकास' शब्दों के पश्चात् 'चक रोड' शब्द अन्तःस्थापित किये जायें।"

मान्धवर, इसमें जितनी बातें आपने लिखी हैं, यह मेरा मामूली सा अमेंडमेंट है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I shall now put amendment No. 3 to vote.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I shall now put clause 13 to vote. The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): We shall now take up clause 15. There is one amendment.

Clause 15—Amendment of section 23.

श्री बीरेन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

4. "1. पृष्ठ 7 पर, पंक्ति 37 से 41 में 'ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि का कब्जा करने की तारीख तक की अवधि के, इनमें से जो भी पहले हो, लिये' शब्दों के स्थान पर 'उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए जिसको कलेक्टर भूमि का कब्जा करे' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

2. पृष्ठ 8 पर, पंक्ति 1 से 4 हटा दी जायें।

3. पृष्ठ 8 पर, पंक्ति 5 में 'तीस प्रतिशत' शब्दों के स्थान पर 'पचास प्रतिशत' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

माननीय मंत्री जी इस क्लाज पर ही मुझे सबसे अधिक आपत्ति है । माननीया प्रधान मंत्री जी ने 16 फरवरी 1981 को किसानों की रैलों में घोषण की थी कि किसानों की जब जमीन ली जायेगी तो उसी वक्त का उन्हें मुआवजा दिये जायेगा । इस क्लाज में उसको निगेटिव कर दिया गया है । उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है । अब आप बतायें कि जमीन जब ली जायेगी और 25 वर्षों से जिन लोगों के केसेज यहां पेंडिंग हैं उन्हें मुआवजा 25 वर्ष पहले के नोटीफिकेशन के टाइम का दिया जायेगा । यह कहां उसके साथ न्याय होगा और यह घोषणा तो प्रधान मंत्री जी ने की लेकिन यहां पालन क्यों नहीं कराया उसका ।

4 P.M. उसका विरोध आपने क्यों किया ? उसके अनुसार आपने क्यों काम नहीं किया है ? **(समय की घंटी)** इसलिए मैं यह मूव करके इसका घोर विरोध करता हूं जो आपने रखा है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I now put amendment No. 4 to vote.

The motion was negatived.

Clause 15 *was added to the Bill.*

Clauses 16 *and* 17 *were added to the Bill.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now we take up clause 18. There is one amendment by Shri Virendra Verma.

Clause 18—*Amendment of section* 28.

SHRI VIRENDRA VERMA: Sir, I move:

5. "That at page 8, line 5, for the words 'nine per centum' the words 'fifteen per centum' be substituted."

The question was proposed.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, यह जो भी है, मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं और इसी के ऊपर—और जब आपका तो यह सभी का रवैया है, इसलिए 18 और 20 के अमेंडमेंट, दोनों ही एक प्रकार के हैं, मैं मूव करता हूं और एक ही साथ अपने विचार भी इन दोनों पर रख देता हूं ।

मान्यवर, 1894 में, आज से 90 वर्ष पूर्व अंग्रेज सरकार ने—जब देश गुलाम था, किसान को 6 प्रतिशत के रेट आफ इंट्रेस्ट को दिलाने की घोषणा की थी उस अपने एक्ट में और आज आजादी के 37 साल बाद, और 90 साल के लैंड एक्वीजीशन एक्ट के बाद, आज आपकी सरकार केवल 6 प्रतिशत—उस समय के 6 प्रतिशत के मुकाबले में जो 9 फीसदी दिला रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है ।

आज काश्तकार को शैड्यूल्ड बैंक्स से, कमर्शियल बैंक्स से, सरकार की तरफ से जितने भी कर्जे मिलते है, वह कोई भी 16-18 फीसदी से कम इंट्रेस्ट रेट पर नहीं मिलता है और आप इसको 9 फीसदी का रेट आफ इंट्रेस्ट दिला रहे हैं। यह क्या न्याय है ? या तो किसानों के लिए हमदर्दी दम भरना छोड़ दें और या फिर उसको उचित रेट आफ इंट्रेस्ट दिलवाइयेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I shall now put amendment No. 5 to vote.

The motion was negatived.

Clause 18 *was added to the Bill.*

Clause 19 *was added to the Bill.*

Clause 20—*Amendment of section* 34.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now we take up clause 20. There is one amendment by Shri Virendra Verma.

6. "That at page 9, line 5, for the words 'nine per centum' the words 'fifteen per centum' be substituted."

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now I put clause 20 to vote.

The motion was adopted.

Clause 20 *was added to the Bill.*

Clauses 21 *to* 30 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the title were added to the Bill.*

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इसी लिए इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

विधेयक में, न तो विधेयक में और न माननीया महोदया जी के वक्तव्य में बटाईदारों की समस्या का कोई निदान हुआ है । वह वहां पर बिना गांव के जब उचड़ेंगे, तो गांव में सभी जमीन वाले नहीं हैं, उसमें पचपिनियां नाम से बहुत से प्राणी हैं—बढ़ई हैं, लौहार हैं, कुम्हार हैं, और इस तरह के आर्टिजंस हैं, उनकी भी व्यवस्था कुछ नहीं है । उनको इन्होंने बता दिया कि ग्रामीण विकास में एन०आर०ई०पी०, आई०आर०डी०पी० में होगा । यह एन० आर० ई०पी०, आई०आर०डी०पी० नहीं है, यह गांव उजाड़ने पर जमीन लेने की बात है । उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो अपंग हैं, अपाहिज है, जिसका उसी जमीन पर भरोसा है, उनकी जमीन लेने के बाद कुछ पैसे दिये जायेंगे, लेकिन उनकी आजीविका की व्यवस्था नहीं होगी। श्रीमान्, एक बात और, बहुत से किसानों ने आज इम्प्रूवड लैंड बनाई है, उसमें नलकूप लगा करके, बिजली लगा करके यह इम्प्रूव्ड लैंड हुई, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है । एक बार सीलिंग हो जायेगा तो हो जायेगा । इस तरह की भी व्यवस्था नहीं है । आज कौन सी जमीन ऐसी है जहां पर कि किसान ने जमीन को इम्प्रूव नहीं किया है । एक बात तो होनी चाहिए । श्रीमन्, पहले एक कानून था प्रदेशों में कि जिसकी डेढ़ एकड़ जमीन है और जिसकी जीविका का साधन भी वही है, उसकी जमीन को नहीं लिया जाएगा । फिर जो उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन को भी नहीं लिया जाएगा । लेकिन इस तरह की भी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है । माननीय मंत्री महोदया ने इस पर कोई विचार नहीं रखा और न ही इसका कोई निदान रखा है । इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Government's Decision to Pay Four More Instalments of Dearness Allowance to Central Government Employees

THE MINISTER OF FINANCE SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission I will like to make an announcement.

According to the existing scheme payment of an instalment of Dearness Allowance to Central Government employees is taken up for consideration after every eight point increase in the 12 monthly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers (base 1960-100). The last instalment of Dearness Allowance was sanctioned on 21-5-1984 with effect from 1-11-1983 with reference to the average index of 520 points. Since then payment of four more instalments of Dearness Allowance with effect from 1-1-1984, 1-2-1984, 1-4-1984 and 1-6-1984 respectively have become due for consideration.

Government have now decided to pay these four instalments of Dearness Allowance to the Central Government employees in cash. Detailed modalities of this payment will be worked out and orders will be issued by the Ministry of Finance in due course.

Along with the payment of Dearness Allowance to the serving Central Government employees Dearness Relief to Pensioners including family pensioners is also sanctioned. Government have also decided to sanction four instalments of Dearness Relief to the pensioners with effect from 1-1-1984, 1-2-1984, 1-4-1984 and 1-6-1984. Orders in this regard will also be issued by the Ministry of Finance in due course.